न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 250 / 2023

प्रार्थी **बनाम** विप्रार्थीगण

1. भंवरसिंह पुत्र चुतरसिंह जाति राजपुत निवासी इन्द्रनगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

विप्रार्थीगण

1. भभूतसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रनगर तहसील सिणधरी
2. कांतिलाल पुत्र भीखचंद
3. मंगसिंह पुत्र सुजानसिंह
4. जबरसिंह पुत्र सुजानसिंह
5. जोगसिंह पुत्र सुजानसिंह
6. छेलसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
7. देवसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
8. नेपालसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रनगर तहसील सिणधरी
9. अणची पत्नी सूजाराम
10. राणाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी रणियासर जागसा सिणधरी
11. केशाराम पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी सारणों की ढाणी होडु
12. लिखमाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी दाखा
13. मदनसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी रनियासर जागसा
14. रतनसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी रनियासर, जागसा तहसील पचपदरा
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री जगदीश के. विश्नोई , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 11.06.2024

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत मौजा ग्राम इन्द्रनगर,
पटवार मण्डल दांखा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1886 / 1171 क्षेत्रफल 16.5845
हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ
आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये
दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा
खेत मौजा ग्राम इन्द्रनगर, पटवार मण्डल दांखा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या
1886 / 1171 क्षेत्रफल 16.5845 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र
पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस
तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का
पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही
अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन
किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा ग्राम इन्द्रनगर, पटवार मण्डल दांखा तहसील सिणधरी के खेत
खसरा संख्या 1886 / 1171 क्षेत्रफल 16.5845 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त
खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की
माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद
बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा ग्राम इन्द्रनगर, पटवार मण्डल दांखा तहसील
सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1886 / 1171 क्षेत्रफल 16.5845 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी
के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व
संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन
किया गया। जिसमें पाया मौजा ग्राम इन्द्रनगर, पटवार मण्डल दांखा तहसील सिणधरी के खेत
खसरा संख्या 1886 / 1171 क्षेत्रफल 16.5845 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो
पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का
अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदा है,और
रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी
हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे
प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है।
यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा
विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम इन्द्रनगर, पटवार मण्डल दांखा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1886/1171 क्षेत्रफल 16.5845 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के मेखम स्थापित करते हुए मेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11.06.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी